सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 28/17 **निर्णय दिनांकः– 14–08–2019**

1. मथरादेवी पत्नी तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी चक 26 बीएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. सुखदीप सिंह पुत्र गुरजंट सिंह जाति जटसिख निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22–03–2013
सपठित आदेश दिनांक 28–01–2009
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 22–03–2013 सपठित आदेश दिनांक 28–10–2009 जिसके द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को चक 27—28 बीएलडी तहसील खाजुवाला के मुरब्बा नम्बर 158/46 में 25 बीघा भूमि का विशेष आवंटन दिनांक 28—10—2009 को किया गया। उक्त भूमि पूर्व में सुखदीप सिंह को आवंटित थी, जोकि किश्तों के अभाव में खारिज होने पर सुखदीप सिंह द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई थी कि अपीलांट/सुखदीप सिंह को आवंटित रकबा अगर अन्य किसी को आवंटन ना हुआ हो तो अपीलांट/सुखदीप सिंह से बताया किश्तें दो माह में जमा करवाकर रकबा बहाल किया जावे। उक्त आदेश से पूर्व ही आराजी जैर का आवंटन अपीलांट को हो चुका था ऐसीस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से बकाया किश्तें जमा करवाने के आदेश पारित कर दिये गये, उक्त आदेश स्पष्ट रूप से न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना है। जब न्यायालय हाजा द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि आराजी जैर यदि अन्य किसी को आवंटित नहीं हो तो बकाया राशि जमा करवाई जावे, जबकि अपीलांट को उक्त भूमि आदेश पारित करने से पूर्व ही हो चुकी थी ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की पालना संभव ही नहीं थी।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों के विपरीत जाकर तमाम कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सामने आ चुके थे कि उक्त भूमि का आवंटन न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 01—02—2013 से पूर्व ही अपीलांट को किया जा चुका था ऐसीस्थिति में पूर्व में खारिज हो चुके आवंटन की बकाया राशि जमा करवाने के आदेश प्रसारित करना विधि विरूद्व आदेश है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश एक सर्शत आदेश था लिहाजा उक्त आदेश में दिये गये दिशा—निर्देशों के संबंध में राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाना अपरिहार्य था। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन या संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो

स्वमेव यह स्थिति सामने आ जाती कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट को पूर्व में ही हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 21—03—2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के आदशों के अनुसरण में आदेश जैर अपील पारित करते हुए बकाया राशि जमा करवाने के आदेश प्रसारित किये गये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन पूर्ववर्ती आदेश है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—2013 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 02—02—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि अपीलांट को विधिवत रूप से आवंटित थी। रेस्पोडेन्ट के आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं होने तथा पूर्व में आवंटन व अपील में पक्षकार न होने के कारण समय पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी संभव नहीं थी। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, विवादित भूमि चक 27—28 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 158/46 सन् 1999 में रेस्पोडेन्ट सुखदीप सिंह को आवंटित हुई थी, जिसे किश्तों के अभाव में दिनांक 16—03—2000 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील इस

न्यायालय के समक्ष सन् 2012 में पेश हुई। इससे पूर्व विवादित भूमि आराजीराज दर्ज होने के कारण दिनांक 28—10—2009 को अपीलांट मथरादेवी को आवंटित कर दी गई। अपील न्यायायल के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुखविन्द्र सिंह ने उक्त तथ्य प्रकट नहीं किये जाने के कारण सुखविन्द्र सिंह को पूर्व में आवंटित रकबा किसी अन्य को आवंटन न होने की शर्त पर किश्तें जमा करवाकर बहाल करने के आदेश दिये गये, परन्तु यह रकबा अपील के निर्णय से पूर्व ही मथरादेवी को आवंटित हो जाने के कारण बकाश किश्तें जमा करवाने का औचित्य नहीं था फिर भी दिनांक 22—03—2013 को बकाया किश्तें जमा करवाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश जारी करने में परीक्षण न्यायालय द्वारा भूल की है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—2013 निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर